न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **134 / 2024** अन्तर्गत धारा 131, **136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अमृतलाल पुत्र चनणाराम 2. गजाराम पुत्र चनणाराम 3. धापूदेवी पत्नी चनणाराम जाति सुथार, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. खेताराम पुत्र चनणाराम जाति सुथार, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. जसराजसिंह पुत्र खुशालसिंह 4. मीनाकंवर पत्नी जसराजसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बीसुखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 26.09.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा अर्जुन नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 190 / 80 रकबा 1.7725 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 15.2971 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 80 से विभक्त हुई है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता व पति चनणाराम को आवंटन हुई थी, जिसका नामांतरकरण संख्या 97 पारित किया गया तथा उक्त नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित की गई। तब से आदिनांक तक उसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य सीमा चिन्ह कायम है तथा अपने अपने कब्जा काश्त में काबिज है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम के विपरीत एवं बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा कांश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए पूर्व मे पारित नामांतरकरण सख्या 97 की पुश्त पर अंकित तरमीम एवं वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये [illegible]ली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। [illegible] स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। [illegible] मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार त[illegible] नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम में एकरूपता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण संख्या 97 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण संख्या 97 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम में एकरूपता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण संख्या 97 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है, किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित रहकर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण संख्या 97 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अर्जुन नगर, तहसील शिव में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 190/80 रकबा 1.7725 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 15.2971 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 26.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)